



राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

अपील संख्या: - 1173/2018

अपीलार्थी

लालूराम यादव
महला की ढांणी] ग्राम पो- पचार]
वाया कालवाड] झोटवाडा]
जयपुर, राजस्थान

बनाम

प्रत्यर्थी

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं
जिला शिक्षा अधिकारी
शिक्षा संकुल जेएलएन मार्ग, जयपुर
जयपुर

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 28-03-2018

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।
2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री सुनील कुमार शर्मा, एपीसी उपस्थित।
3. मैंने प्रत्यर्थी पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।
4. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 07-06-2017 के द्वारा राजकीय प्राथमिक विद्यालय, महला की ढांणी को छोटूराम यादव ने भूमि व कमरा दान दिये, दान की गई भूमि के लिखित दस्तावेज की प्रति चाही गई थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपील विनिश्चयविहीन रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।
5. सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी ने बताया कि वांछित सूचना के बाबत संबंधित विद्यालय राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, महला की ढांणी से सूचना प्राप्त की गई। विद्यालय ने पत्र दिनांक 05-12-2017 से अवगत कराया कि दान की गई भूमि के दस्तावेज विद्यालय के रिकार्ड में उपलब्ध नहीं है। जिसके अभाव में प्रति दिया जाना सम्भव नहीं है। संबंधित विद्यालय के पत्र के आधार पर अपीलार्थी को पत्र दिनांक 08-12-2017 से उपरोक्त आशय की सूचना प्रेषित की गई। प्रथम अपील अधिकारी को पत्र दिनांक 06-12-2017 से विद्यालय के पत्र से अवगत कराया गया।
6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 19-03-2018 प्रस्तुत किया है जिसकी प्रति अपीलार्थी को प्रेषित की गई है। जिससे उक्त पैरा संख्या 5 में किये गये कथन की पुष्टि होती है। अपीलोत्तर के साथ पत्र दिनांक 05-12-2017, 06-12-2017 व 08-12-2017 की प्रति संलग्न की गई है।
7. अपीलार्थी द्वारा कोई अन्यथा प्रतिक्रिया प्रस्तुत नहीं की गई है। अभिलेखानुसार सूचना प्रदत्त है। अपील में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने

के कारण अपील का खारिज किया जाना समीचीन है।

8. अस्तु, वर्तमान अपील खारिज की जाती है।
9. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
10. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त